



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940

No. 118]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

## खान मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 134(अ).**—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11ख और परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 में अनुसूची क, के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

**अनुसूची क  
परमाणु खनिजों के लिए प्रारंभिक मूल्य की विशिष्टियाँ**

[नियम 2(1) (ड) और नियम 36 देखिए]

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | बेरिल और अन्य बेरिलियमधारी खनिज    | शैल का 0.1% BeO(1000 पी.पी.एम. BeO) या उत्खनित सामग्री में बेरिल 10 कि.ग्रा./टन                              |
| 2. | लीथियमधारी खनिज                    | ब्राइन (200 पी.पी.एम. Li, अर्थात् Li 200 ग्रा./टन के सिवाय, अयस्क में 0.5%(5000 पी.पी.एम.) Li <sub>2</sub> O |
| 3. | ‘दुर्लभ मृदा’ समूह के खनिज, जिनमें | अयस्क में 60 पी.पी.एम. U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> और/या 250 पी.पी.एम. ThO <sub>2</sub>                    |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | यूरेनियम और थोरियम अंतर्विष्ट है   |   |
| 4.  | नायोवियमधारी खनिज  | अयस्क में 100 पी.पी.एम. $(Nb+Ta)_2O_5$ (100 ग्रा./टन)   |
| 5.  | फास्फोराइट और अन्य फास्फेटी अयस्क, जिनमें यूरेनियम अंतर्विष्ट है   | अयस्क में 60 पी.पी.एम. $U_3O_8$   |
| 6.  | पिचब्लैड और अन्य यूरेनियम अयस्क  | अयस्क में 60 पी.पी.एम. $U_3O_8$ , सिवाय झारखंड में सिंहभूम शीयर क्षेत्र में, जहां कि श्रेशहोल्ड वैल्यू अयस्क में 150 पी.पी.एम. $U_3O_8$ होगा  |
| 7.  | टाइटेनियमधारी खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रुटाइल और लियोकोक्सीन)   | कठोर शैल में पाए जाने वाले टाइटेनियमधारी खनिजों की दशा में, शैल में 60 पी.पी.एम. $U_3O_8$ और/या 250 पी.पी.एम. $ThO_2$<br>बीच सैंड मिनरलस और अन्य जमा निक्षेपों में मोनाजाइट से सहयुक्त पाए जाने वाले टाइटेनियमधारी खनिजों की दशा में, मोनाजाइट श्रेणी कुछ भी होते हुए, उपर्युक्त अनुसार श्रेशहोल्ड (अर्थात् कुल भारी खनिजों में मोनाजाइट का श्रेशहोल्ड 0.00% है) अधिसूचित किया जाता है। |
| 8.  | टेन्टेलमधारी खनिज  | अयस्क में 100 पी.पी.एम. $(Nb+Ta)_2O_5$ (100 ग्रा./टन)   |
| 9.  | यूरेनीफेरस ऐलैनाइट, मोनेजाइट और अन्य थोरियम खनिज   | 60 पी.पी.एम. $U_3O_8$ और/या 250 पी.पी.एम. $ThO_2$<br><br>बीच सैंड मिनरलस और अन्य जमा निक्षेपों में मोनाजाइट से सहयुक्त पाए जाने वाले खनिजों की दशा में, मोनाजाइट श्रेणी कुछ भी होते हुए, उपर्युक्त अनुसार श्रेशहोल्ड (अर्थात् कुल भारी खनिजों में मोनाजाइट का श्रेशहोल्ड 0.00% है) अधिसूचित किया जाता है।   |
| 10. | तांबा और स्वर्ण के निष्कर्षण के पश्चात् अयस्कों के बचे हुए यूरेनियमधारी अवशिष्ट, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्क)  | 60 पी.पी.एम. $U_3O_8$ और/या 250 पी.पी.एम. $ThO_2$   |
| 11. | जिर्कोनियम, जिसमें जिर्कोन सहित खनिज और अयस्क होते हैं।  | बीच सैंड मिनरलस और अन्य जमा निक्षेपों में मोनाजाइट से सहयुक्त पाए जाने वाले जिर्कोनियमधारी खनिजों की दशा में, मोनाजाइट श्रेणी कुछ भी होते हुए, उपर्युक्त अनुसार श्रेशहोल्ड (अर्थात् कुल भारी खनिजों में मोनाजाइट का श्रेशहोल्ड 0.00% है) अधिसूचित किया जाता है।<br><br>अन्य दशाओं में, जिर्कोन, जिसमें 200 पी.पी.एम. से कम हफनियम अंतर्विष्ट है।  |
| 12. | बालू टट खनिज अर्थात् टेरी या तटीय बालू में पाये जाने वाले किफायती भारी खनिज जिसमें इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सीन, गारने, मोनोजाइट, जिर्कोन तथा सिलिमेनाइट शामिल है। | बीच सैंड मिनरलस और अन्य जमा निक्षेपों में मोनाजाइट से सहयुक्त पाए जाने वाले खनिजों की दशा में, मोनाजाइट श्रेणी कुछ भी होते हुए, उपर्युक्त अनुसार श्रेशहोल्ड (अर्थात् कुल भारी खनिजों में मोनाजाइट का श्रेशहोल्ड 0.00% है) अधिसूचित किया जाता है।  |

[फा.सं. 1/1/2019-एम. VI]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**नोट :** परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 677(अ), तारीख 11 जुलाई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126 (अ) तारीख 19 फरवरी, 2019 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

**G.S.R. 134(E).**—In exercise of the powers conferred under Section 11B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and rule 36 of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, namely:-

2. (1) These rules may be called the Atomic Minerals Concession (Second Amendment) Rules, 2019.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, for Schedule A, the following Schedule shall be substituted, namely:-

### SCHEDULE A

#### PARTICULARS OF THRESHOLD VALUE FOR ATOMIC MINERALS

*[See rule 2 (1)(m) and rule 36]*

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Beryl and other beryllium - bearing minerals                        | 0.1% BeO (1000 ppm BeO) of the rock or 10kg/tonne Beryl in excavated material.   |
| 2. | Lithium bearing minerals  | 0.5% (5000 ppm) Li <sub>2</sub> O in ore, except brine (200 ppm Li, i.e. 200 g/tonne Li).  |
| 3. | Minerals of the 'rare earths' group containing uranium and thorium  | 60 ppm U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> and/or 250 ppm ThO <sub>2</sub> in ore.   |
| 4. | Niobium-bearing minerals  | 100 ppm (Nb+Ta) <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (100 g/tonne) in ore.  |
| 5. | Phosphorites and other phosphatic ores containing uranium           | 60 ppm U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> in ore.   |
| 6. | Pitchblende and other uranium ores                                  | 60 ppm U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> in ore, except in Singhbhum Shear zone in Jharkhand where the threshold value will be 150 ppm U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> in ore.   |
| 7. | Titanium bearing minerals and ores (ilmenite, rutile and leucoxene) | In case of titanium-bearing minerals occurring in hard rock, 60 ppm U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> and/or 250 ppm ThO <sub>2</sub> in the rock.<br><br>All cases of titanium-bearing minerals occurring in Beach Sand Minerals and other placer deposits in association with monazite are notified as above threshold (i.e. the threshold is 0.00% monazite in Total Heavy Minerals), irrespective of monazite grade. |
| 8. | Tantalum-bearing minerals   | 100 ppm (Ta+Nb) <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (100 g/tonne) in ore.  |
| 9. | Uraniferousallanite, monazite and other thorium minerals            | 60 ppm U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> and/or 250 ppm ThO <sub>2</sub><br><br>All cases of Beach Sand Minerals and other placer deposits in association with monazite are notified as above threshold (i.e. the threshold is 0.00% monazite in Total Heavy Minerals), irrespective of monazite grade.  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 10. | Uranium bearing tailings left over from ores after extraction of copper and gold, ilmenite and other titanium ores.  | 60 ppm U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> and/or 250 ppm ThO <sub>2</sub> .   |
| 11. | Zirconium bearing minerals and ores including zircon.  | All cases of zirconium -bearing minerals occurring in Beach Sand Minerals and other placer deposits in association with monazite are notified as above threshold (i.e. the threshold is 0.00% monazite in Total Heavy Minerals), irrespective of monazite grade.<br><br>In other cases, zircon containing less than 2000 ppm of Hafnium. |
| 12. | Beach Sand Minerals i.e. economic heavy minerals found in the teri or beach sand, which include ilmenite, rutile, leucoxene, garnet, monazite, zircon and sillimanite. | All cases of Beach Sand Minerals and other placer deposits in association with monazite are notified as above threshold (i.e. the threshold is 0.00% monazite in Total Heavy Minerals), irrespective of monazite grade.  |

[F. No. 1/1/2019-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

The Atomic Mineral Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 677(E), dated 11<sup>th</sup> July, 2016 and last amended vide notification number G.S.R No.126 (E) dated the 19 February, 2019.